have been taken over by M.C .D. m anticipation of payment of defi ciency charges by D.D.A. These being won, by MOD on the basis of information furnished by D.D.A.

Area uader irrigation

2003. SHRI RAMCHAND1' BHARADWAJ :

DR. H.P. SHARMA :

SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:

will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state

(a) what is the present area under inigation and what.atage of the total cultivation does it constitute ;

(b) what is the additional area to be brought under irrigation during-the Seventh five Year Plan ; and

(c) the extent of the total irrigation potential which is at present utilised and the percentage of it that will be utilised by the end of the seventh Five Year Plan ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKA-' RANAND) : (a) As per Land Use statistics for 1981-82 (Provisional), the gross irrigated area in the count)' 51-61 M. Ha. constituting about 29.15 percent of the total cropped area in the country.

(b) The additional irrigation ential proposed to be created during the Seventh Planis about 12.9 M.Ha.

(c) About 89% of the potential is utilised at -present and this is expected to increase to 94-5% by the end of the Seventh Plan period.

Post-tax return on capital employed in fertiliser industry

SHRI KUMAR. BIRLA : Will the Minister of AGRI-CULTURE be pleased to state

(a) what is the post-tax return on capital employed permitted to fertiliser industry ; and

(b) whether Government propose increasing of such return so as to improve its working and boost mansion of fertilizer industry for the shortage of fertilizers in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ERTILIZERS (SHRI K. NATWAR SINGH) : (a) Under the present retention price scheme, the fertilizer industry is allowed a post-tax return of 12% on 'net-worth' (not on capital employed).

No, Sir.

मध्य प्रदेश को तिलहनों की सप्लाई में कमी

2005. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मध्य प्रदेश को मूंगफली, राई, सरसों और तोरया के तिलहनों की मिनिकिटों की सप्लाई में कमी किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि ये मिनिकिटें अपनी उपयोगिता के कारण किसानों में लोकप्रिय हैं ;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 1985-86 के दौरान तिलहन फसलों के 1,69,300 बीज के मिनिकिट आवंटित किए हैं । यदि व चाहें तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उसे वित्तीय नियतन में से किसी विशेष तिलहन के और मिनिकिट प्राप्त करने का राज्य सरकार को अधिकार है ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं तथा धान के उन्नत बीजों की मांग

2006. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कृषकों में गेहूं व धान की उन्नत किस्म के बीजों के इस्तेमाल को

लोकप्रिय बनाने के लिए अनुदान की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश में 150 रु० प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा पर गेहूं के बीजों के वितरण पर राजसहायता देने हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुपालन में राज्य सरकार ने कृषि और सहकारिता को यह अनुरोध किया था कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई राज सहायता के बोझ को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए । राज्य सरकार ने धान के बीजों के मिनिकिटों का वितरण करने के लिए और धान के बीजों को रियायती दरों पर किसानों को सप्लाई करने के लिए भी अनुदान सहायता मांगी थी।

(ख) मध्य प्रदेश में गेहूं के बीजों के वितरण पर राज सहायता हेतु सिफारिश के संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश में खेती की कुल लागत में बीजों की लागत का प्रतिशत पंजाब और हरियाणा राज्यों में खेती की कुल लागत में बीज की लागत के प्रतिशत से अधिक थी ।

मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में खेती की लागत का ब्यौरा आयोग से प्राप्त किया गया था और वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए मध्य प्रदेश , पंजाब और हरियाणा में खेती की लागत का विश्लेषण किया गया था । विश्लेषण से यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती की लागत में बीजों की लागत उतनी ही थी जितनी कि हरियाणा और पंजाब के मामले में यह सीमांततः कम थी परन्तु यह अन्तर कोई विशेष नहीं था । दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मामले में उर्वरक का उपयोग काफी कम पाया गया और इस कारण से मुख्यतः मध्य प्रदेश में खेती की कुल लागत की प्रतिशतता में प्रति हैक्टायर बीजों के उपयोग पर व्यय अधिक बैठता है । तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृषि आदानों के वैज्ञानिक प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि करके मध्य प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है । चूंकि बीजों की लागत पर राज्य सहायता उपलब्ध करा कर इस प्रयोजन को प्राप्त नहीं किया जा सका, अतः यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में गेहूं के बीजों पर राज सहायता उपलब्ध न कराई जाए ।

तथापि राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि राज्य में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक सघन क्षेत्र-विशेष गेहूं विकास कार्यक्रम बनाया जाए ।

जहां तक धान का संबंध है । पूर्वी मध्य प्रदेश के 40 चुने हुए जिलों में धान के बीजों के मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण करने तथा धान के बीजों के वितरण पर राज सहायता देने हेतु 126 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । इसे केन्द्र और राज्य के द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा । यह चावल मिनिकिट एवं सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम को केन्द्रीय धान की योजना के चावल के मिनिकिट के निःशुल्क वितरण हेतु मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराई जा रही 100 प्रतिशत सहायता के अतिरिक्त है । इस योजना के तहत वर्ष 1985-86 के लिए मध्य प्रदेश हेतु 30.00 लाख रुपए की राशि सिफारिश की गई है ।

*2007. SHRI SUKOMAL SEN; INFOR MATION AND BR

(a) . tern Newspapers Society mac representation for reconsideration of the Directorate of Audio Visual Publicity rates ;

(b) if so, what action Govern ment have taken in this matter ; and